

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक- /06/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर में नहर/नदी तट वर्षाकालीन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹3,29,71,699/- (तीन करोड़ उन्तीस लाख एकहत्तर हजार छः सौ निन्यानवे रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,34,02,637/- (एक करोड़ चौतीस लाख दो हजार छः सौ सैतीस रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर में नहर/नदी तट वर्षाकालीन वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹3,29,71,699/- (तीन करोड़ उन्तीस लाख एकहत्तर हजार छः सौ निन्यानवे रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,34,02,637/- (एक करोड़ चौतीस लाख दो हजार छः सौ सैतीस रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 22.00 कि.मी. में 47000 पौधारोपण का अग्रिम-सह-समापन कार्य तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक सम्पोषण कार्य किये जायेंगे। इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-445 दिनांक-22.05.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना, जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-0109- प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406011020109, विषय शीर्ष-0109.02.01-मजदूरी तथा 0109.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
14. संचिका संख्या-146/2025 के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-03.06.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-17.06.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
15. योजनाओं की समेकित संचिका संख्या-147/2025 के पृष्ठ-08/टि० पर दिनांक-17.06.2025 को अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति एवं संचिका संख्या-146/2025 के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-18.06.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक-यथोक्त।**

विश्वासभाजन

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक-योजना बजट-146/2025- 3077 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-18/06/2025

प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर

नहर/नदी बाँध तट वर्षाकालीन वृक्षारोपण अभियम-सह-समापन कार्य वर्ष 2025-26 एवं सम्पौषण कार्य वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक प्राकलन का विवरण

क्र० सं०	प्रक्षेत्र	प्रखण्ड	स्थल का नाम	जीपीएस सिडिंग (GPS Reading)	रकबा (कि०मी०)	लगाये जाने वाले पौधों की कुल संख्या	माउण्ड	पीट	वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	वर्ष 2027-28	वर्ष 2028-29	कुल
1	कहलगाँव	पीरपैती	पाखान टोला से मैनी नदी	N-25.278058 E-87.454162 N-25.268705 E-87.468372	7	6000	3000	3000	16,12,999	9,33,669	8,40,196	7,24,313	41,11,177
2	भागलपुर	जगदीशपुर	चौदपुर से हरवा	N-25.129371 E-86.961772 N-25.1273 E-86.960418	4	8000	3000	5000	18,78,538	12,44,892	11,20,261	9,65,752	52,09,443
3	कहलगाँव	सन्हीला	नखो बाँध	N-25.117609 E-87.173772 N-25.118089 E-87.173925	3	3000	0	3000	4,67,364	4,66,835	4,20,098	3,62,156	17,16,453
4	भागलपुर	सुल्तानगंज	मझली बाँधडीह से कमरांग	N-25.211620 E-86.684976 N-25.225816 E-86.681050	3	15000	12000	3000	49,46,109	23,34,173	21,00,489	18,10,783	1,11,91,554
5	भागलपुर	नाथनगर	भतौरिया से टुटापुल	N-25.172944 E-86.914403 N-25.183649 E-86.909346	5	15000	10000	5000	44,97,627	23,34,173	21,00,489	18,10,783	1,07,43,072
कुल -					22	47000	28000	19000	1,34,02,637	73,13,742	65,81,533	56,73,787	3,29,71,699

TS for PS 3297699/- only
क्षेत्रीय मुख्यालय वन विभाग
भागलपुर

वन संरक्षक
भागलपुर अंचल, भागलपुर

वन प्रमंडल, भागलपुर
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर